

योजना का नाम

निःशक्ता पेंशन

लाभ

रु० 1,000 /— प्रति
माह एवं अनुग्रह
राशि रु० 40,000 /—
दी जाती है।

पात्रता / लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
बोर्ड में पंजीकृत निर्माण
श्रमिक, जो लकवा, कुष्ठ
रोग, तपेदिक, दुर्घटना
आदि के कारण स्थाई रूप
से निःशक्त हो गये हों।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी रूप से निःशक्त होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो राजकीय सी०एम०एस० / सी०एम०ओ० द्वारा बनाया गया हो, किसी भी योजना से लाभ न लिये जाने का शपथ पत्र, स्वघोषणा प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक को स्थायी रूप से निःशक्त होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में प्रतिमाह रु. 1000 /— तथा अनुग्रह राशि एकमुश्त रु. 40 हजार का भुगतान किया जाता है।

